Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी ब्रजपाल उर्फ पिन्टू, देवेन्द्र, जगदीप उर्फ जग्गी व सन्दीप प्रत्येक को हुआ 05 वर्ष का कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2008 में अभियुक्त 1-ब्रजपाल उर्फ पिन्टू पुत्र धर्मवीर, 2-देवेन्द्र पुत्र धर्मवीर, 3-जगदीप उर्फ जग्गी पुत्र राजवीर व 4-सन्दीप पुत्र मुकेश निवासीगण ग्राम भैड़ापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरूद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 152/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 01.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ पिन्टू, देवेन्द्र, जगदीप उर्फ जग्गी व सन्दीप को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 05 वर्ष के कारावास व 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 01.05.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 97/24 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल 01 छुरी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 30.04.2023 को थाना छपरौली पर वादी श्री वीरेन्द्र पुत्र चंदन सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके दामाद अभियुक्त मनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा अपनी पत्नी व माँ की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत

थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 97/24 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल 01 छुरी बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर आलाकत्ल 01 छुरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-है0का0 526 मनीष थाना छपरौली जनपद बागपत।
5-है0का0 586 लोकेश भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत।
6-का0 633 जहांगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना- बालैनी   दिनाँक- 01.05.2024

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।

कार्यवाही-

थाना बालैनी पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अजय पुत्र हरवीर निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
2-मोनू पुत्र हरवीर निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी बागपत।
3-का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।